मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1994 (भाद्र 28, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का छत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.92 से 31.3.93 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार पृथक् आगम विभाग की अधिसूचनायें :-

(क) एफ क्र-ए-5-22-1982 (8)-विक-पांच, दिनांक 19 मार्च, 1983, तथा
(ख) एफ क्र. ए-5-22-1982 (9)-विक-पांच, दिनांक 19 मार्च, 1983

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री, ऊर्जा :-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94, तथा
(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1992-93,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, इन्दौर विकास प्राधिकरण की भूमि पर नगर निगम कर्मियों की मिली भगत से अवैध निर्माण होने की ओर राज्यमंत्री आवास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, सदस्य, सतना जिले में मां शारदा प्रबंधन समिति मैहर के अध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री जालम सिंह पटेल, जनकलाल ठाकुर, कंकर मुंजारे, सदस्य, दुर्ग जिले में बंद शंकर गुहा नियोगी हत्याकांड के अपराधी द्वारा जेल कर्मियों की मिली भगत से जेल से भागने का प्रयास किये जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री किशोरीलाल वर्मा, रघुनन्दन शर्मा, मोती कश्यप, सदस्य, भोपाल में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के अनशनकारियों की चिंताजनक हालत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का छठवां, सातवां, आठवां एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री धनेश पटिला, सभापति, याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.